प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक/स्कूल क्रमांक : 142155/ 8461 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (भोपाल), मधयप्रदेश

स्कूल: World Way International School Bhopal मान्यता का प्रकार - **नवीनीकरण मानृयता / नवीन मानृयता** मान्यता दिनांक - **10/05/2022**

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2022.05.10 18:42:35 +05:30
Reason: Issued By: deo bhopal

सत्र - 2022-23

प्रति,

प्रबंधक (World Way International School Bhopal)

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 09/02/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यव्हार / निरक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - World Way International School Bhopal डाइस कोड - 23320302520 स्कूल क्रमांक - PS 8461 को कक्षा पहली से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नही होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ संबंद्द्ता की कोई बाध्यता किसी भी रूप मे विवक्षित नही होगी
- स्कूल निःशिल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध2) के उपबंधों का पालन करेंगा।
- स्कूल, अपने पड़ोसी की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात मे निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम कीधारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे ।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा ।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस क संग्रह नही करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नही अपनाएगा ।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नही करेंगा -
  - o (क) आयु के सबूत के आभाव में ;
  - o (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चयात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - o (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर |
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
  - o किसी स्कूल मे प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा
  - o किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नही किया जाएगा;
  - o प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उतीण करने कि आवश्यकता नहीं होगी ;
  - o नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - o अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा
  - o अधिनियम कि धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षको कि भर्ती कि जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आर्हता नहीं रखते है, उन्हे अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आर्हता प्राप्त करनी होगी
  - o शिक्षकों को अधिनियम कि धारा 24(1) के आधीन विनीरदृष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा
  - o प्रायवेट टीचिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नही लेंगे/लेंगी
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा
- अधिनियम कि धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा
- स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विनिदृष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे | अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-

PRINCIPAL
World Way International School
E-8, Ext. World Way Road, Bhopal-39
Ph. 0755-3291589, 4276668

Snehmita Deb
27/03/25

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

ावेदन क्रमांक: 189324

त्र - 2025-26

कूल आईडी : PS8461

दिनाँक : 07/04/202

आवेदन दर्ज दिनाँक : 22/01/202

आवेदन लॉक दिनाँक : 06/02/202

प्रारूप 1

(नियम 11(1) देखिए)

स्कूल की मान्यता के लिए स्व घोषणा - सह-आवेदन

मान्यता का प्रकार - नवीनीकरण मान्यता

ति,

जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केंद्र

जिला - भोपाल , मध्यप्रदेश

होदय,

मै एतद्द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुसूची में विहित सन्नियमों एवं मानको का पालन करने संबंधी स्व घोषणा करता हूँ World Way International School Bhopal (स्कूल का नाम) की नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण हेतु स्कूल शिक्षा विभाग की शत के अधीन मान्यता प्रदान करने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन अग्रेषित करता हूँ। मान्यता आवेदन हेतु निर्धारित राशि 12000 ई. पेमेंट के माध्यम जमा की जा चुकी है एवं सुरक्षा निधि हेतु फिक्स डिपोजिट की गयी राशि की प्रति संलग्न है।

CHAIRMAN
WORLD WAY INTERNATIONAL SCHOOL
BHOPAL

भवदीय,

हस्ताक्षर

समिति के अध्यक्ष का नाम -
Mr. Manohar Patidar

विद्यालय का नाम -
World Way International School Bhopal

स्थान -
E-8 Extension,Near Aakriti Eco City, Rohit Nagar Phas
2 Bhopal

PRINCIPAL
World Way International School
E-8, Ext. World Way Road, Bhopal-
Ph. 0755-3291589, 4276668

ंलग्न:

. पोर्टल पर दर्ज आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित प्रति

. ई-पेमेंट की कंप्यूटर जनरेटेड प्रति

. सुरक्षा निधि हेतु फिक्स डिपोजिट की प्रति

ate and Time : 07-04-2025 11:17:03 | IP Address : 106.222.218.242

» बीआरसी कार्यालय द्वारा सत्यापन उपरांत दी गयी जानकारी

बीआरसी कार्यालय द्वारा World Way International School Bhopal (189324) का भ्रमण दिनांक 07/03/2025 समय 2:54PM को किया गया एवं मान्यता हेतु **अनुसंशा की जाती है ।** भ्रमण में दी गयी टीप " *स्कूल पूर्व से मान्यता प्राप्त है उपरोक्त आरटी ई मापदंड को पूरा करते है मान्यता नवीनीकरण हेतु विचारनाथ प्रस्तुत*.

क्र.क्र.	विवरण	हाँ / नहीं
1	क्या आवेदन में दर्ज पंजीकृत सोसाइटी /न्यास का दस्तावेज हैं?	हाँ
2	क्या शाला भवन अच्छी स्थिति में है और शाला भवन सुरक्षित है?	हाँ
3	यदि किराये का भवन है तो, क्या किरायानामा है? / अथवा यदि स्वयं का भवन है तो, क्या स्वयं के भवन के दस्तावेज उपलब्ध हैं?	हाँ
4	क्या आवश्यक कक्षा कक्ष पर्याप्त उपलब्ध है?	हाँ
5	क्या आवेदन में दर्ज जानकारी के अनुसार स्कूल का क्षेत्रफल सही पाया गया हैं?	हाँ
6	क्या आवेदन में दर्ज जानकारी के अनुसार खेल के मैदान का क्षेत्रफल सही पाया गया हैं?	हाँ
7	क्या RTE Norms के अनुसार शिक्षक उपलब्ध हैं?	हाँ
8	क्या RTE Norms के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षक हैं?	हाँ
9	क्या RTE Norms के अनुसार शिक्षण कक्ष उपलब्ध हैं?	हाँ
10	क्या स्कूल में रैंप उपलब्ध है?	हाँ
11	क्या स्कूल में पेयजल सुविधा उपलब्ध है?	हाँ
12	क्या स्कूल में बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक उपयुक्त शौचालय हैं?	हाँ
13	क्या स्कूल में दिव्यांग बच्चों के लिए पृथक शौचालय हैं?	हाँ
14	क्या स्कूल में क्रियाशील अग्नि सुरक्षा उपकरण है?	हाँ
15	क्या स्कूल में खेल का मैदान उपलब्ध है?	हाँ
16	क्या स्कूल में खेलकूद सुविधाये एवं खेल उपकरण उपलब्ध हैं?	हाँ
17	क्या स्कूल में सावधि जमा की भौतिक रूप से मौजूद प्रति मान्याता आवेदन के लिए जमा की गयी प्रति से मेल खाती है?	हाँ
18	क्या सावधि जमा और आवेदन शुल्क के विवरण बच्चों की कुल संख्या और स्कूल के प्रकार के अनुसार है?	हाँ

PRINCIPAL
World Way International School
E-8, Ext. World Way Road, Bhopal
Ph. 0755-3291589, 4276...

विकासखंड स्त्रोत समन्वयक

विकासखंड - PHANDA URBAN

जिला - भोपाल

» डीपीसी कार्यालय द्वारा सत्यापन उपरांत दी गयी जानकारी

ापके आवेदन पत्र दिनांक 06/02/2025 तथा इस संबंध मे स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के संदर्भ मे, मै आपकी स्कूल World Way International School Bhopal, E-8 Extension,Near Aakriti Eco Ci ohit Nagar Phase 2 Bhopal को कक्षा **पहली**से कक्षा **आठवीं** तक के लिए दिनांक 01/04/2025से दिनांक 31/03/2028तक कालावधि के लिए **मान्यता प्रदान की जाती है।**

जिला परियोजना समन्वयक

जिला - भोपाल